| | OFFICE ORDER | Document No.: | UPHDB./OO/ENG/ E-01 |
|---|---|---|---|
| | विषयः वाहय विद्युतीकरण कार्यो के कियान्वयन से संबंधित गाइड लाइन्स । | Revision No.: | 00 |
| | | Effective Date: | 1.4.2004 |
| | | Page | 1 of 2 |

उ०प्र० शासन के यू०ओ० संख्या १५६६ पी–३/८२–८३ दिनांक २–६–१९८२ के अनुपालन में आवास परिषद की योजनाओं/परियोजनाओं की सीमा के अन्दर वाहय विद्युतीकरण का कार्य परिषद द्वारा स्वयं कराया जा रहा है । इसी संदर्भ में विद्युतीकरण कार्यो के सम्पादन हेतु तत्कालीन उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद ( वर्तमान यू०पी०पी०सी०एल० ) ने अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या २२५३/एस०ई०बी०–१४/८३/३(५६) के०वी० /८३ दिनांक २–७–८३ द्वारा सुपरवीजन चार्जेज, डिजाइन स्वीकृति एवं अधिग्रहण की प्रकिया आदि के बारे में कुछ ' गाइड लाइन्स' निर्धारित किये गये थे जिसके अनुसार विद्युतीकरण कार्य के प्राक्कलन की धनराशि का १५ प्रतिशत सुपरवीजन चार्जेज विद्युत परिषद को देय था । इस सम्बन्ध में आवास परिषद एवं विद्युत परिषद के अधिकारियों के मध्य शासन स्तर पर उच्च स्तरीय बैठकों में लिए गये निर्णयों के अनुसार उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद द्वारा उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक २–७–१९८३ में संशोधन करते हुए अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या २०८–के/एस०ई०बी०–१४/८४/३(५६) के०बी०/८४ दिनांक १७–१–८४ तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या २०९–के/एस०ई०बी०–१४ ए/८४ दिनांक १७–१–८४ द्वारा नई गाइड लाइन्स का निर्धारण किया गया जिसमें १५ प्रतिशत सुपरवीजन चार्जेज के स्थान पर ०५ प्रतिशत सुपरवीजन चार्जेज विद्युत परिषद को भुगतान करने का प्राविधान था और इस संदर्भ में आवास आयुक्त के कार्यालय आदेश ८८३/पी०आर–२९/विद्युतीकरण दिनांक १२–४–१९८४ द्वारा गाइड लाइन्स प्रसारित कर तदनुसार कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किये गये थे । जिसके अनुपालन में वर्ष १९८३ से १९९८ तक उपरोक्त ' गाइड लाइन्स' के आधार पर विद्युतीकरण कार्य सम्पादित कराये जाते रहे है ।

उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग के गठन के बाद विद्युतीकरण सम्बन्धी नियमों एवं प्रकियाओं का पुनः पुनरीक्षण तथा मानकीकरण किया गया जिनके तारतम्य में उ०प्र० राज्य विद्युत के कार्यालय ज्ञाप संख्या ५४८–कार्य/१४(पी)/रा०वि०प०/९८–३ के०वी० /९५ दिनांक २४–४–१९९८ द्वारा पुनः नई गाइड लाइन्स का निर्धारण किया गया है जिसके अनुसार विद्युत भार की गणना के मानक के अतिरिक्त प्राक्कलन की धनराशि का १५ प्रतिशत

| Refer to process no UPHDB/PM/ENG/ 30 | Prepared by | Reviewed by | Approved by |
|---|---|---|---|
| | EE ED-1 S.E.(E/M) | C.E. | H.C |

सुपरवीजन चार्जेज देय होने का प्राविधान किया गया है । यद्यपि कि उक्त कार्यालय ज्ञाप आवास परिषद पर सिद्धान्ततः लागू नहीं है फिर भी राज्य विद्युत परिषद के अधिकारियों द्वारा उक्त कार्यालय ज्ञाप में किये गये प्राविधान के अनुसार ही कार्यवाही किये जाने की आपेक्षा आवास परिषद से की जा रही है । इसी कारण से विद्युत परिषद द्वारा निर्धारित 'गाइड लाइन्स' में प्राविधानित १५ प्रतिशत सुपरवीजन चार्जेज के विरूद्ध उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग में आवास परिषद द्वारा अपील दायर की गयी है जो कि आयोग में अभी भी विचाराधीन है । अतः परिषद हित में यह आदेश दिये जाते है कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद को ०५ प्रतिशत के बजाय १५ प्रतिशत सुपरवीजन चार्जेज का भुगतान इस शर्त के अधीन किया जाता रहे कि **" यह भुगतान उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग के निर्णय के अधीन रहेगा "** । उपरोक्त सभी गाइड लाइन्स की प्रतियॉ संलग्न करते हुए तीनों विद्युत खण्डों को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी । यह आदेश उन सभी योजनाओं पर लागू होगें जो परिषद द्वारा उक्त शासनादेश के अन्तर्गत कियान्वित की जायें ।

<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td>OFFICE ORDER</td><td>Document No.:</td><td>UPHDB./OO/ENG/ E-02</td></tr>
<tr><td rowspan="3">विषय: विकास एवं निर्माण कार्यो के अंतर्गत योजनाओं / परियोजनाओं में विद्युत खण्डों द्वारा विद्युत/यॉत्रिक कार्यो के सम्पादन के सम्बन्ध में ।</td><td>Revision No.:</td><td>00</td></tr>
<tr><td>Effective Date:</td><td>1.4.2004</td></tr>
<tr><td>Page</td><td>1 of 1</td></tr>
</table>

विकास कार्यो के अंतर्गत वाहय विद्युतीकरण कार्यो के साथ–साथ परिषद के विद्युत/यॉत्रिक कार्यो से संबंधित कार्यो को विद्युत खण्डो द्वारा सम्पादित किए जाने हेतु पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या २२७६/अ०अ०वि/यॉ/एस–१५ दिनांक १६–७–९० एवं ३८३४/विद्युत दिनांक १–१२–९८ का अतिक्रमण करते हुए विद्युत/यॉत्रिक कार्यो को विद्युत खण्डों द्वारा निम्नानुसार सम्पादित कराये जाने के आदेश दिए जाते है :–

१. निर्माणाधीन/ प्रस्तावित व्यवसायिक काम्पलेक्स, बहुखण्डीय भवनों तथा इस प्रकार के अन्य सामुदायिक भवनों में आन्तरिक विद्युतीकरण एवं संबंधित अन्य विद्युत/यॉत्रिक का समस्त कार्य ।

२. नलकूप निर्माण से संबंधित बोरिंग एवं पम्पिंग प्लांट की आपूर्ति/संस्थापन का कार्य ।

३. सीवेज पम्पिंग प्लांट की आपूर्ति / संस्थापन कार्य ।

४. जिन योजनाओं में अवर अभियंता–विद्युत/यॉत्रिक तैनात है, वहॉ मार्गीय प्रकाश, निर्मित नलकूपों एवं सीवेज पम्पिंग स्टेशन के रख रखाव का कार्य ।

| Refer to process no. UPHDB/ENG/24 | Prepared by | Reviewed by | Approved by |
|---|---|---|---|
| | S.E.(E/M) | C.E. | H.C |

| | OFFICE ORDER | Document No.: | UPHDB./OO/ENG/ E-03 |
|---|---|---|---|
| | विषयः विद्युत संस्थापनों से प्रभावित सम्पत्तियों एवं आ रही कठिनाइयों के निराकरण के सम्बन्ध में । | Revision No.: | 00 |
| | | Effective Date: | 1.4.2004 |
| | | Page 1 of 1 | |

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि निर्माण खण्डों द्वारा विद्युत लाइनों के नीचे / समीप भवन/भूखण्ड निर्मित कर दिये जाते है जिसके फलस्वरूप निर्मित सम्पत्तियों का निस्तारण / आबंटन भी हो जाता है । यह स्थिति वास्तविक फिजीबिल्टी रिपोर्ट प्राप्त किए बिना सम्पत्तियॉ आबंटन हेतु आफर कर दिये जाने के कारण उत्पन्न होती है तथा ऐसे मामलें प्रकाश में तब आते हैं जब आबंटन/कब्जे के उपरांत आबंटी द्वारा इसकी शिकायत की जाती है । ऐसे समस्त मामलों में व्यवहारिक एवं विधिक कठिनाइयॉ तो आती ही है साथ ही साथ इससे परिषद की छवि भी धूमिल होती है तथा आबंटी को भी समस्या होना स्वाभाविक है ।

उपर्युक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्देश दिये जाते है कि उक्त परिस्थितियों में संबधित निर्माण खण्ड द्वारा विद्युत खण्ड से उपलब्ध विद्युत लाइनों की शिफि्टंग होने के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त करने के पश्चात् ही भवन/भूखण्ड निर्मित किए जाय तथा विद्युत लाइनो के शिफ्ट हो जाने के उपरांत ही इनको आबंटन हेतु आफर किया जाय जिससे सम्पत्ति आबंटन होने के पश्चात् उक्त समस्या से बचा जा सके ।

विद्युत खण्ड से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यदि विद्युत संस्थापनों की शिफि्टंग पर कोई व्यय प्रस्तावित है तो उसको सम्पत्ति विशेष के मूल्य में समायोजित किया जाना होगा। यदि शिफि्टंग पर सम्भावित व्यय सम्पत्ति विशेष के मूल्य से अधिक हो अथवा शिफि्टंग तकनीकी आधार पर सम्भव न हो तो ऐसी सम्पत्ति आबंटन हेतु आफर न कर किसी अन्य विभागीय अथवा सामुदायिक प्रयोजन हेतु आरक्षित करा ली जाय ।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी संज्ञान में आया है कि कुछ आबंटियों द्वारा अपने भवनों में स्वीकृत मानचित्र का अतिक्रमण करते हुए अवैध निर्माण कार्य इस सीमा तक करा लिये जाते है कि उनके भवनों के समक्ष बनी विद्युत लाइनें भवनों की छत के ऊपर से गुजरने अथवा भवनों को छूने की स्थिति में आ जाती है ।

ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित निर्माण खण्डों द्वारा त्वरित कार्यवाही कर अवैध निर्माण बन्द कराने अथा इसको तुड़वाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय जिससे जन सामान्य की सुरक्षा एवं विद्युत नियमावली का पालन सुनिश्चित हो सके ।

| Refer to process no. UPHDB/PM/ENG/ 24 | Prepared by | Reviewed by | Approved by |
|---|---|---|---|
| | S.E.(E/M) | C.E | H.C |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | OFFICE ORDER | Document No.: | UPHDB./OO/ENG /E-04 |
| | विषयः परिषद योजनाओं में आबंटन/नीलामी हेतु आफर किये जाने वाले आवासीय/ अनावासीय/व्यवसायिक/ बल्क सेल भूखण्डों के अतिरिक्त विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में । | Revision No.: | 00 |
| | | Effective Date: | 1.4.2004 |
| | | Page | 1 of 1 |

## कार्यालय आदेश

परिषद योजनाओं में नीलामी/आवंटन पद्धति पर पूर्व में विक्रय किये गये आवासीय/अनावासीय/व्यावसायिक/बल्कसेल भूखण्डों पर आवंटियों द्वारा बनाये गये काम्प्लैक्स की विद्युत आवश्यकता के सापेक्ष विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रान्सफारमर आदि की मांग इन्दिरा नगर लखनऊ के कुछ आवंटियों द्वारा परिषद से किये जाने के प्रकरण सामने आये हैं जिनपर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी परिषद के विरूद्ध लिये गये निर्णय के अनुपालन में परिषद द्वारा अपने व्यय पर ट्रान्सफारमर आदि की व्यवस्था विवश होकर करायी गयी है स्पष्ट है कि यह परिषद के लिए एक अनावश्यक रूप से अत्याधिक वित्तीय भार है, जिस पर रोक लगाया जाना आवश्यक है।

अतः भविष्य में किसी भी पद्धति से विक्रय किये जाने वाले आवासीय/ अनावासीय / व्यावसायिक/बल्कसेल भूखण्डों की अन्य शर्तों के साथ इस शर्त को भी स्पष्ट रूप से सम्मिलित एवं अंकित किया जाना आवश्यक है कि "परिषद द्वारा भूखण्ड की सीमा पर उपलब्ध करायी गयी विद्युत व्यवस्था (एच०टी० / एल०टी०) लाइन के अतिरिक्त और कोई विद्युत व्यवस्था आवंटी की आवश्यकता के लिए नहीं की जायेगी। आवंटी द्वारा बनाये गये काम्पलेक्स के विद्युत भार की पूर्ति पावर कारपोरेशन से आबंटी द्वारा स्वयं अपने व्यय पर प्राप्त की जानी होगी। अतः उपरोक्तानुसार नीलामी/आबंटन की शर्तों में उक्त शर्त का समायोजन सुनिश्चित करें।

| Refer to process no. UPHDB/PM/ENG/ 29 Prev.Order No. 871/R-31/62 Dated : 31-7-2001 | Prepared by | Reviewed by | Approved by |
|---|---|---|---|
| | S.E.(E/M) | C.E. | H.C |

| | OFFICE ORDER | Document No.: | UPHDB./ANX/ENG/ E-01 |
|---|---|---|---|
| | विषय: वाहय विद्युतीकरण कार्यो के कियान्वयन से संबंधित गाइड लाइन्स । | Revision No.: | 00 |
| | | Effective Date: | 1.4.2004 |
| | | Page | 1 of 1 |

## उत्तर प्रदेश शासन
## ऊर्जा अनुभाग–३
## यू०ओ० संख्या १५६६ पी–३/८२–८३
## लखनऊ दिनांक / २ जून, १९८२
## अधिसूचना

इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स १९५६ के नियम १३३ के उपनियम (१) के साथ–साथ पठित नियम ४५ के उप नियम (१) के परन्तुक के उपबन्धकों के अनुसरण में राज्यपाल महोदय आवास एवं विकास परिषद द्वारा अपने काम्पलेक्स के भूग्रहादि में किए जाने वाले ११ के०वी० तक के अधिष्ठापनों के कार्यो को निम्नलिखित शर्तो पर उक्त रूल्स के नियम ४५ के उपनियम (१) के उपबन्धों में छूट देते है :–

१– विद्युत अधिष्ठापन का समस्त कार्य मान्यता प्राप्त अभियन्ता/ अवर अभियंता ( इलेक्ट्रिकल ) जिन्होने विद्युत निरीक्षणालय में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सार्टीफिकेट प्राप्त किया हो, की निगरानी में कराया जायगा ।

२. वायरिंग का कार्य एवं ओवर हेड लाइन खींचने का कार्य कमशः विद्युत निरीक्षणालय द्वारा जारी किया गया वायरमैन परमिट रखने वाले व्यक्तियों और लाइन मैनों से ही कराया जाएगा । लाइनमैन की श्रेणी में वे ही व्यक्ति आयेगें जो किसी आई०टी०आई० से लाइन मैन ट्रेड टेस्ट पास किया हो या जो किसी संस्थान में कम से कम ६ माह तक लाइन मैन के पद पर कार्य किया हो ।

३. प्रत्येक क्षेत्र में विमुक्त अधिष्ठान का कार्य कराने के लिए प्रथक–प्रथक कम से कम इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर दो वायर मैन तथा दो लाइन मैन अवश्य होगें ।

४. ओवर हेड लाइन तथा केबिल लेइंग इत्यादि के कार्य के निर्माण की विधि की ड्राइंग का अनुमोदन कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व विद्युत निरीक्षणालय लखनऊ से प्राप्त करना होगा ।

आज्ञा से

हस्ताक्षर–

( योगेन्द्र नारायण )

सचिव

| Refer to process no UPHDB/PM/ENG/ 30 and office order No. UPHDB/OO/ENG/ E-01 | Prepared by | Reviewed by | Approved by |
|---|---|---|---|
| | EE ED-1 S.E.(E/M) | C.E.. | H.C |

# U.P. STATE ELECTRICITY BOARD
## 14, ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN
## LUCKNOW
## OFFICE MEMORANDUM

No. 2253-K/SEB-XIV/83/3(59)KB/83 Dated July 2, 1983

Some colonies are coming up in different parts of the state promoted by Housing Board , Local Development Authority or NOIDA. In the recent past, in view of quicker execution of electrification works, requests have been received from such promoters for construction of distribution mains, etc. Inside the colony by them . After such constructions, these mains have to be taken over by U.P. State Electricity Board for giving individual connection and maintenance.

2.1. In order to adopt a general policy for laying lines in such colonies, it has been decided that if the Housing Board, Local Development, Authority or NOIDA desire to lay L.T. distribution mains themselves in the colony, they will be permitted to do so provided the following conditions are fulfilled by them in advance.

(1) Specification of materials for laying of distribution mains will be approved by the Superintending Engineer concerned of U.P. State Electricity Board.

(2) The materials to be used for laying distribution mains etc. will be inspected and approved by an officer of U.P. State Electricity Board to be authorised by the S.E. concerned of the Board.

(3) The quality of the work laying distribution mains to be executed will be supervised by the UPSEB's officer so that there is no difficulty in taking over the works by UPSEB.

(4) 15% towards supervision charges on the total estimated cost of electrification work has been deposited with the UPSEB, with the provision for adjustment as per final cost wheh the works are completed.

2.2 Subsequently, maintenance of such distribution mains will be done by the UPSEB, after transfer of the same by such promoters to the Board without cost, and service connection to individual occupants of the colony will be provided by the UPSEB in accordance with rules and regulations of the Board from time to time.

3- The above permission shall, however, be subject to the Housing Board, Local Development Authority or NOIDA having obtained relation from the provisions of Rules 45(1) of Indian Electricity Rules 1956 under Rule/133 (1) of the said rules from the state Govt. and certified copy thereof is furnished to the superintending Engineer concerned of the U.P.S.E.B.

Sd-
ADDITIONAL SECRETARY

| Refer to process no. | Prepared by | Reviewed by | Approved by |
|---|---|---|---|
| UPHDB/PM/ENG/ 30 and office order No. UPHDB/OO/ENG/ E-01 | EE EDI S.E.(E/M) | C.E. | H.C |

## U.P. STATE ELECTRICITY BOARD
## SHAKTI BHAWAN, 14, ASHOK MARG
## LUCKNOW

No. 208-K/SEB-XIV/84/3(59)KB/84 Dated: January 17,1984

## OFFICE MEMORANDUM

U.P. Housing & Development Board are engaged in promoting a developing residental colonies in differents parts of the state. Development of these colonies involves construction of 11 KV lines, associated 11/.4 KV sub-station & L.T. lines inside the colony: and , accordingly the cost of such installations is borne, in full, by the U.P. Housing & Development Board. Further, in order to cater to the total connected load of the colony as per its ultimate plan , it sometimes becomes technically essential either to construct a new secondary sub-station or to increase the capacity of an existing secondary sub-station of the UPSEB.

2.1 The matter regarding the charge of cost of construction of a new secondary sub-station or of increasing capacity of an existing secondary sub-station and associated 33 KV and/or 11 KV lines upto the site of UPHDB's colony had been under discussion between the U.P. State Electricity Board & the U.P. Housing & Development Board for sometime . In order to adopt a uniform policy in this regard, it has been decided that :-

i). Connected load upto 1 MVA in any colony will be released by the UPSEB by constructing 11 KV independent feeder from and existing secondary sub-station to the colony site, wherein the cost of this independent feeder together with associated controlling equipment shall be borne, in full, by the U.P. Housing & Development Board.

ii) Where the connected load of the colony exceeds 1 MVA and it is found technically feasible to cater to the same by increasing capacity and extension of the existing secondary sub-station already existing in the neighbourhood of the colony,

the cost of such increasing capacity and extension of the secondary sub-station as also the cost of 11 KV independent feeder from secondary sub-station to the colony site and associated controlling equipment shall be borne, in full, by the U.P. Housing & Development Board.

iii). Where the connected load of the colony exceeds 1 MVA and it is considered technically essential to construct a new scondary sub-station to cater to the same, The U.P. Housing & Development Board as well as U.P. State Electricity Board will first examine if part of the cost of the construction of this secondary sub-station can be shared by any bulk up-coming beneficiary, e.g. Development Authority, with the U.P. Housing & Development Board. In event of such a possibility having been estabilished, the total cost of construction of the secondary sub-station shall be shared by the beneficiaries in proportion to the connected load of their respective colonies. Incase, however, no other up-coming beneficiary comes forward, total cost of the secondary sub-station shall be borne, in full, by the U.P. Housing & Development Board. The cost of 11 KV independent feeder from the secondary sub-station to the colony site, in either case, shall be borne, in full, by U.P. Housing & Development Board.

iv). Where it is decided to construct a new secondary sub-station to cater to the connected load a residental colony of U.P. Housing & Development Board, the cost of residental quarters required for the maintenance staff at the sub-station shall be shared by UPSEB and U.P. Housing & Development Board as follows :

(a) The cost of residental quarters for one junior engineer and four sub-station operators shall be borne by the U.P. Housing & Development Board.

(b) The cost of residental quarters for the remaining maintenance staff shall be borne by U.P.S.E.B.

2.2 The assessment of connected load of residental colony for above purpose shall be made as per ultimate plan of the colony.

| Refer to process no. | Prepared by | Reviewed by | Approved by |
|---|---|---|---|
| UPHDB/PM/ENG/ 30 and office order No. UPHDB/OO/ENG/ E-01 | EE ED-I S.E.(E/M) | C.E. | H.C |

3.1 All references for payment of estimated amount, as per orders above, made by the concerned UPSEB authorities to the U.P. Housing & Development Board, shall be accompanied by a copy detailed estimate.

3.2 In case the U.P. Housing & Development Board desire to supply part or whole of the equipments or decide to construct residential quarters, chargeable to them, at the secondary sub-station, the amount to be deposited by them shall be correspondingly reduced. In such case (s), however, the equipments shall be procured/residential quarters shall be constructed by the U.P. Housing & Development Board strictly in accordance with the specifications to be supplied by the UPSEB, and testing of these equipments shall be carried out, before hand, by the UPSEB's Officer to be nominated by the superintending Engineer concerned of the UPSEB.

3.3 It has further been decided that if the UPSEB desire that some of the equipment of the secondary sub-station may be procured for them or some buildings at the secondary sub-station may be constructed on their behalf by the U.P. Housing & Development Board, such works shall be undertaken by the U.P. Housing & Development Board.

Sd-
CHAIRMAN

| Refer to process no. UPHDB/PM/ENG/ 30 and office order No. UPHDB/OO/ENG/ E-01 | Prepared by | Reviewed by | Approved by |
|---|---|---|---|
| | EE ED-I / S.E.(E/M) | C.E. | H.C |

| | | |
|---|---|---|
| OFFICE ORDER | Document No.: | UPHDB./ANX/ENG/E-04 |
| विषयः वाहय विद्युतीकरण कार्यो के कियान्वयन से संबंधित गाइड लाइन्स । | Revision No.: | 00 |
| | Effective Date: | 1.4.2004 |
| | Page | 1 of 2 |

## U.P. STATE ELECTRICITY BOARD
## SHAKTI BHAWAN, 14, ASHOK MARG
## LUCKNOW.

209-K/XIV-A/SEB/84 Dated: January, 17, 1984

## OFFICE MEMORANDUM

In supersession of orders contained in Board's O.M. No. 2253-k/SEB-XIV/83/3(59) KB/83 dated 2-7-1983, the following orders are hereby issued :-

1- some colonies are coming up in different parts of the state promoted by Housing Board, Local Development Authority or NOIDA. In the recent past, in view of quicker execution of electrification, works, requests have been received from such promoters for construction of 11 KV lines, associated distribution and L.T. Distribution mains, etc, inside the colony by them. After such constructions these installations have to be taken over by U.P States Electricity Board for giving individual connection and maintenance.

2-1. In order to adopt a uniform policy for laying lines in such colonies, it has been decided that if the Housing Board, Local Development Authority or NOIDA desire to take up construction of 11 KV lines, associated distribution sub-station and L.T. distribution mains themselves in the colony, they will be permitted to do so provided the following conditions and fulfilled by them in advance :-

(1) Specifications of materials to be used in such constructions will be approved by the Superintending Engineer concerned of the U.P. State Electricity Board.

(2) The materials to be used in such constructions will be inspected and approved by an officer of U.P. State Electricity Board to be authorised by the Superintending Engineer concerned of the Board .

| Refer to process no. UPHDB/PM/ENG/30 and office order No. UPHDB/OO/ENG/E-01 | Prepared by | Reviewed by | Approved by |
|---|---|---|---|
| | EE ED-I S.E.(E/M) | C.E. | H.C |

In case , however , the UPSEB is satisfied that promotors of a colony have engaged qualified and experienced Engineers for this job, this condition may be waived by express written orders of the Superintending Engineer concerned of the UPSEB.

(3) The quality of the work to be executed will be supervised by the UPSEB's officer so that there is no difficulty in taking over of the works by UPSEB.

(4) 5% ( Five perecent ) of the total estimated cost of electrification work has been deposited with the UPSEB towards supervision charges, with provision for its adjustment as per final cost when the works are completed .For the purpose, the Housing Board / Local Development Authority/ NOIDA etc. shall first submit detailed estimate of work proposed to be undertaken by them to enable UPSEB work out above 5% amount for intial deposit. On completion of work they will submit ' as-executed' detaled account of work to the concerned authority of the UPSEB.

Subsequently, maintenance of such installations after transfer of the same by such promoters to the Board free of cost , will be done by the UPSEB and service connection to individual occupants of the colony will be provided by UPSEB in accordance with rules and requlation of the Board issued from time to time.

3- The above permission shall, however, be subject to the Housing Board, Local Development Authority or NOIDA having obtained relexation from the provisions of Rules 45(1) of Indian Electricity Rules 1956 under Rule 33(1) of the said Rules from the state government and certified copy thereof is furnished to the Superintending Engineer concerned of the UPSEB.

Sd-

CHAIRMAN

| Refer to process no. UPHDB/PM/ENG/ 30 and office order No. UPHDB/OO/ENG/ E-01 | | Prepared by | Reviewed by | Approved by |
|---|---|---|---|---|
| | EE ED-I | S.E.(E/M) | C.E. | H.C |

| OFFICE ORDER | Document No.: | UPHDB./ANX/ ENG/E-05 |
|---|---|---|
| विषयः वाहय विद्युतीकरण कार्यो के कियान्वयन से संबंधित गाइड लाइन्स । | Revision No.: | 00 |
| | Effective Date: | 1.4.2004 |
| | Page | 1 of 1 |

संख्या ८८३ / पी०आर०–२६ / विद्युतीकरण दिनांक १२ अप्रैल, १९८४

उ०प्र० शासन सं० यू०ओ०–१५६६ पी–३ / ८२–८३ दिनांक २–६–८२ के अनुपालन आवास परिषद की योजनाओं के सीमा के अन्दर वाहय विद्युतीकरण का कार्य परिषद द्वारा कराया रहा है । इसी संदर्भ में विद्युतीकरण कार्यो के सम्पादन हेतु उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद ने अ कार्यालय ज्ञाप संख्या २२५३–के० / एस०इ०बी० –१४ / ०३ / ३ / (५६)के०बी० / ८३ दिनांक २–७–८३ द्व सुपरवीजन चार्जेज, डिजाइन की स्वीकृति एवं अधिग्रहण के बारे में कुछ गाइड लाइन्स निर्धारित किये जिसके अनुसार विद्युतीकरण कार्य के प्राक्कलन धनराशि का १५ प्रतिशत सुपरवीजन चार्जेज वि परिषद को देय था । इस सम्बन्ध में आवास परिषद एवं विद्युत परिषद के अधिकारियों के बीच शा स्तर पर उच्च स्तरीय बैठको में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये है, जिसके आधार पर उ०प्र० रा विद्युत परिषद ने अपने उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक २–७–८३ में संशोधन करते हुए कार्यालय ज्ञ संख्या २०८–के० / एस०इ०बी०–१४ / ८४ / ३ / (५६) के०बी० / ८४ दिनांक १७–१–८४ त २०६–के० / १४–ए० / एस०इ०बी०–८४ दिनांक १७–१–८४ द्वारा नयी गाइड लाइन्स निर्धारित किये है उपरोक्त कार्यालय ज्ञापों की प्रतियॉ संलग्न करते हुए निर्देश दिये जाते हे कि पुनरीक्षित निर्धारित गा लाइन्स के आधार पर वाहय विद्युतीकरण कार्यो का सम्पादन कराया जाय जिससे इन कार्यो हस्तान्तरण में कोई कठिनाई न हो ।

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद को अब १५ प्रतिशत के बजाय ५ प्रतिशत की दर सुपरवीजन चार्जेज का भुगतान किया जाना है जिसे अनुमोदित डिजाइन पर बने प्राक्कलन की धनरा के आधार पर गणना कर परिषद के सम्बन्धित अधिशासी अभियंताविद्युत खण्ड–प्रथम / द्वितीय द्वारा कि जायेगा । यह आदेश उन सभी योजनाओं पर लागू होगें हो परिषद द्वारा उक्त शासनादेश के अंत कियान्वित की गयी हैं ।

हस्ताक्षर–
( श्याम सूरी )
आवास आयुक्त

| Refer to process no. UPHDB/PM/ENG/ 30 and office order No. UPHDB/OO/ENG/ E-01 | Prepared by | Reviewed by | Approved by |
|---|---|---|---|
| | EE ED-I S.E.(E/M) | C.E. | H.C |

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
शक्तिभवन, १४, अशोक मार्ग,
लखनऊ ।

संख्या ५४८–कार्य/चौदह (वी)/राविप/६८–३ के०वी०/६५ दिनांक २४ अप्रैल, १६६८

## कार्यालय ज्ञाप

सार्वजनिक प्रतिष्ठानों तथा निजी बिल्डर्स एवं प्रमोटर्स द्वारा विकसित किये जाने वाले आवासीय/अनावासीय, एक तलीय/बहुतलीय भवन काम्पलेक्सों एवं कालोनियों (उप–नगरी) के विद्युतन संबंधी नियमों एवं प्रकियाओं का पुनरीक्षण एवं मानकीकरण करने के उद्‌देश्य से एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश दिये जाते है :–

१– केवल दो मंजिल, भूतल तथा प्रथम तल ( अधोतल को छोड़कर ) से अधिक के भवन को बहुतलीय भवन माना जाय ।

२–(अ) प्रस्तावित उपनगरीय/बहुतलीय भवन संकुलों में विद्युत मॉग की सूचना ( समय सारिणी–सहित, यदि कोई हो ) विकासकर्ता द्वारा परिषद के सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता ( वितरण ) को प्रस्तुत की जायेगी । उक्त सूचना के साथ प्रस्तावित उपनगरी/भवन संकुल का सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/महापालिका/नगरपालिका से स्वीकृत मानचित्र तथा स्थिति के रेखाचित्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

(ब) ड्राइंग एवं उक्त सूचना प्राप्ति के १५ ( पन्द्रह ) दिनों के सम्बन्धित अधिशाषी अभियंता द्वारा विद्युत भार स्वीकृत हेतु संस्तुति/आख्या सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता को प्रस्तुत की जायेगी । विद्युतीकरण से सम्बन्धित अंतिम ड्राइंग का अनुमोदन सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा ६० (साठ) दिनों में दिया जायेगा ।

(स) विद्युत संयोजन सम्बन्धी मॉग पत्र के साथ निम्नलिखित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट ( सम्बन्धित अधिशासी अभियंता के नाम ) संलग्न किया जायेगा :–

(१) पंजीयन शुल्क – रू० १०००.००

(२) ड्राइंग अनुमोदन शुल्क – रू० ३.०० प्रति कि०वाट की दर से

(द) विद्युत भार का ऑकलन निम्न मापदण्ड के अनुसार किया जायेगा :–

(१) घरेलू– ५०० वाट प्रति १०० वर्ग फिट निर्मित स्थल

(२) वाणिज्यिक– १५०० वॉट प्रति १०० वर्ग फिट निर्मित स्थल

(३) लिफ्ट की मोटर, जलापूर्ति की मोटर, स्ट्रीट लाइट, यदि कोई हो, कारिडोर / कैम्पस लाइटिंग एवं अन्य कामन फैसीलिटीज–वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ।

नोट : किलोवॉट से के०वी०ए० में परिवर्तन हेतु ०.८५ पावर फैक्टर माना जायेगा । प्रतिबंध यह है कि एक भवन की विद्युत आवश्यकता न्यूनतम १.०० कि०वा० से कम नहीं ली जायेगी ।

३. विद्युत भार की स्वीकृति के उपरान्त प्राक्कलन का टेक्निकल अनुमोदन सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता द्वारा प्रदान किया जायेगा । सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता द्वारा निर्गत नियम व शर्तो के विरूद्ध देय धनराशि का भुगतान, विकासकर्ता द्वारा विलम्बतम ६० दिनों में किया जायेगा लेकिन यदि भुगतान से पूर्व स्टाक इशू रेट में यदि कोई बढ़ोत्तरी होती है तो उसे भी विकासकर्ता द्वारा जमा किया जायेगा । स्वीकृत ऑकलन उन्हें ६० दिनों की निश्चित समय सीमा के अन्दर उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

प्रस्तर–२(द) में इंगित मानकों के आधार पर ऑकलित विद्युत भार के लिये वितरण तन्त्र का विकास निम्नवत किया जायेगा जिसकी कुल लागत विकासकर्ता / निर्माणकर्ता द्वारा देय होगी :–

(क) <u>५० कि०वाट तक :–</u>

परिषद की विद्यमान एल०टी० मेन्स की यथा आवश्यक सुदृढ़ीकरण किया जायेगा ।

(ख) <u>५० कि०वाट से अधिक किन्तु ४२५ कि०वाट ( ५०० के०वी०ए० ) तक :–</u>

यदि विद्यमान ११ के०वी० पोषक में पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है तो उसका विस्तार किया जायेगा अन्यथा स्वतंत्र ११ के०वी० पोषक (फीडर) बनाया जायेगा ।

(ग) <u>४२५ कि०वाट (५०० के०वी०ए०) से अधिक किन्तु २५५० कि०वाट ( ३००० के०वी०ए० ) तक :–</u>

परिषद के ३३ के०वी० अथवा १३२ के०वी० उपकेन्द्र से ( ११ के०वी० वोल्टेज उपलब्ध होने की स्थिति में ) स्वतंत्र ११ के०वी० पोषक बनाकर विकासकर्ता के परिसर में प्रस्तर–५ में इंगित प्रतिबंधों के अनुसार उपयुक्त क्षमता के ११ / ०.४ के०वी० परिवर्तक स्थापित किये जायेगें ।

(घ) २५५० किo वाट ( ३००० के०वी०ए० ) से अधिक किन्तु ८५०० किoवाट ( १०००० के०वी०ए०) तक :–

परिषद के १३२ अथवा ३३ के०वी० उनकेन्द्र से स्वतंत्र ३३ के०वी० पोषक द्वारा आंकलित विद्युत भार की आपूर्ति की जायेगी । इसके लिए पर्याप्त क्षमता के ३३/११ के०वी० उपकेन्द्र के निर्माण की कुल लागत एवं ११ के०वी० पोषकों की लागत भी विकासकर्ता द्वारा देय होगी ।

(च) ८५०० किoवाट ( १०००० के०वी०ए० ) से अधिक :–

परिषद के २२० के०वी० अथवा १३२ के०वी० उपकेन्द्र से स्वतंत्र १३२ के०वी० पोषक द्वारा ऑकलित विद्युत भार की आपूर्ति की जायेगी । इसके लिये पर्याप्त क्षमता के १३२/३३ के०वी०, १३२/११ के०वी० अथवा ३३/११ के०वी० उपकेन्द्र के निर्माण की कुल लागत एवं ११ के०वी० पोषकों की लागत भी विकासकर्ता द्वारा देय होगी ।

५– विकासकर्ता द्वारा देय लागत निम्नवत होगी :–

(क) प्रस्तर–२(द) में इंगित मानकों के आधार पर ऑकलित विद्युत भार की आपूर्ति में होने वाला सम्पूर्ण व्यय विकासकर्ता द्वारा देय होगा । वितरण तन्त्र के विस्तार/विकास के प्राक्कलन में उपरोक्त ऑकलित विद्युत भार के निकटतम मानकीकृत अथवा परिषद द्वारा कय की गई क्षमता के उपकरणों/सामग्री का ही प्राविधान किया जायेगा ।

(ख) बहुखंडीय भवन का ऑकलित विद्युत भार १०० के०वी०ए० से अधिक होने की स्थिति में प्राक्कलन में दो ट्राप्सफारमर लगाये जाने का प्राविधान किया जायेगा । उदाहरणार्थ, यदि ऑकलित भार ३०० के०वी०ए० है तो साधारणतया १६० के०वी०ए० के दो ट्रांसफारमर लगाये जायेगें ।

(ग) विकासकर्ता से सिस्टम लोडिंग प्रभार तथा प्रतिभूति ( सिक्योरिटी ) की धनराशि नहीं ली जायेगी ।

(घ) सिस्टम लोडिंग तथा सर्विस कनेक्शन चार्जेज भवन स्वामी अथवा उपभोक्ता द्वारा देय होगें ।

(ड.) प्रतिभूति की धनराशि भवन स्वामी अथवा उपभोक्ता द्वारा देय होगी ।

६. बहुखण्डीय भवनों के लिये स्थापित परिवर्तको से अन्य निकटवर्ती उपभोक्ताओं व संयोजन निर्गत करने से पूर्व विकासकर्ता अथवा निवासियों की समिति यदि कोइ अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेना आवश्यक होगा ।

७. निर्माण कार्य के लिए वॉछित विद्युत भार हेतु विकासकर्ता अस्थायी संयोजन के लि अधियाचना करेगा । यह अस्थायी संयोजन निर्माण की प्रस्तावित अवधि अथवा प्रथम अधिकतम दो वर्ष के लिए स्वीकृत किया जायेगा । निर्माण कार्य में अधिक समय स्थिति में उसे समय रहते अवधि में विस्तार हेतु प्रार्थना–पत्र देना होगा । अस्थायी को किसी भी दशा में स्थायी नहीं किया जायेगा ।

८(अ) स्थायी संयोजन हेतु विद्युत वितरण तन्त्र में आवश्यक विस्तार एवम् संवर्घन हेतु देय लागत का कम से कम ५० प्रतिशत विकासकर्ता द्वारा अग्रिम जमा किये जाने के उ अस्थायी संयोजन स्वीकृत किया जायेगा ।

(ब) विकासकर्ता को स्थायी संयोजन के लिए वॉछित धनराशि का पूर्ण भुगतान एक मुश्त भी विकल्प होगा । इस दशा में परिषद द्वारा समस्त कार्य भुगतान के समय लागू र रेट के आधार पर ही कराया जायेगा तथा कार्य कराने के समय प्रचलित स्टाक इशू वृद्धि के समतुल्य धनराशि विकासकर्ता द्वारा जमा करना अनिवार्य नहीं होगा । अ स्थिति में शेष ५० प्रतिशत भुगतान के समय लागू स्टाक इशू रेट के आधार पर पुनरीक्षित किया जायेगा एवं शेष ५० प्रतिशत धनराशि के अतिरिक्त स्टाक इशू रेट वृद्धि के समतुल्य कुल धनराशि भी परिषद को देय होगी ।

(स) उपनगरी/भवन संकुल के विद्युतीकरण हेतु परिषद के नेटवर्क से आवश्यक विस्तार ए का कार्य ( जिसमें विकासकर्ता के परिसर में मीटर तक वितरण तंत्र शामिल है क्षेत्रीय मुख्य अभियंता ( वितरण ) द्वारा अनुमोदित ड्राइंग्स /स्कीम के अनुसार वि द्वारा परिषद ज्ञाप संख्या २०६–के/चौदह–ए/एस०ई०बी०/८४ दिनांक १७–१– निहित शर्तो के अनुसार किया जायेगा । पर्यवेक्षक शुल्क परिषद ज्ञा ४६७–सीएओ/सी–१/१५५–विविध–८५–८६ दिनांक ३–६–६६ के अनुसार रेस्पो शे आधारित प्राक्कलन का १५ प्रतिशत की दर पर विकासकर्ता द्वारा देय होगा ।

| Refer to process no. UPHDB/PM/ENG/ 30 and office order No. UPHDB/ENG/ E-01 | Prepared by | Reviewed by | Approved |
|---|---|---|---|
| | EE ED-I S.E.(E/M) | C.E. | H.C |

६. बहुतलीय भवन/संकुलों में सभी उर्जा मापक (एनर्जी मीटर ) भूतल अथवा अधोतल पर लगाये जायेगें । मीटर लगाने के लिए बिल्डर द्वारा पर्याप्त एवं सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया जायेगा । ऊर्जीकरण के उपरान्त उर्जा मापक तक का वितरण तन्त्र परिषद की सम्पत्ति हो जायेगी तथा इसके अनुरक्षण का दायित्व भी परिषद का होगा । मीटर के बाद के यंत्र के अनुरक्षण का दायित्व सम्बन्धित उपभोक्ता का होगा ।

प्रत्येक भावी उपभोक्ता को पृथक–पृथक कनेक्शन उसी के नाम दिया जायेगा परन्तु इसके लिए उसे अपनी उपनगरी/भवन संकुल के स्वामित्व /अधिवासन का प्रमाण पत्र अथवा किरायादारी का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । विद्युत कनेक्शन देने से पूर्व, उपनगरी में वाहय विद्युत वितरण तन्त्र को परिषद को हस्तान्तरित होने के पश्चात् ही नये विद्युत संयोजन निर्गत किये जायेगें ।

११. प्रत्येक भावी उपभोक्ता से विद्युत कनेक्शन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र के साथ आवेदन प्रासेसिंग शुल्क, परिषद द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार सर्विस कनेक्शन चार्जेज, सिस्टम लोडिंग चार्जेज एवम् सिक्योरिटी एवं अन्य चार्जेज देय होंगे । नये संयोजन निर्गत होने के समय परिषद द्वारा निर्धारित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करना भी आवश्यक होगा ।

१२–(क) प्रत्येक भावी उपभोक्ता को उसकी आवश्यकतानुसार अधिकतम मांग ( किलावाट)/के०वी०ए० का संयोजन निर्गत किया जायेगा । इस सम्बन्ध में कोई टेक्नीकल फिजीविलिटी रिपोर्ट ( तकनीकी सम्भाव्यता आख्या ) की आवश्यकता नहीं होगी । यदि घरेलू उपयोग हेतु अधिभारित भार ५०० वाट प्रति १०० वर्ग फीट ( निर्मित ) अथवा उसका अंश तथा व्यवसायिक अधिभारित भार १५०० वाट प्रति वर्ग फीट ( निर्मित ) से कम हो तो अधिभारित भार के बजाय ( उक्त सूत्र के अनुसार भवन के निर्मित क्षेत्र के आधार पर ) आंकलित भार स्वीकृत/निर्गत किया जायेगा ।

(ख) उपनगरी/बहुखण्डीय भवन के लिये स्वीकृत कुल विद्युत भार के संयोजन निर्गत नहीं किये जायेंगे । स्वीकृत विद्युत भार की सीमा से अधिक विद्युत भार की आवश्यकता होने पर विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के कार्य की लागत विकासकर्ता अथवा भवन की को–आपरेटिव सोसाइटी द्वारा वहन की जायेगी ।

| Refer to process no. UPHDB/PM/ENG/ 30 and office order No. UPHDB/ENG/ E-01 | Prepared by<br>EE ED-I<br>S.E.(E/M) | Reviewed by<br>C.E. | Approved by<br>H.C |
|---|---|---|---|

(ग) उपनगरी/बहुखंडीय भवनों के लिए विद्युत भार निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा स्वीकृत कि जायेगा ।

| स्वीकर्ता अधिकारी | अधियाचित/ऑकलित भार तक | प्रयोजन |
|---|---|---|
| १– उपखण्डाधिकारी/ सहायक अभियंता | ८.०० कि०वा० तक | घरेलू/व्यापारिक |
| २– अधिशाषी अभियंता | ८.०० कि०वाट से अधिक परन्तु २५.० कि०वा० तक | प्रकाश/पंखा एवम् मिश्रित प्रयोजनार्थ |
| ३– अधीक्षण अभियंता | २५.० कि०वा० से अधिक परन्तु ७५.० कि०वा० तक | —तदैव— |
| ४– क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता | असीमित परन्तु ७५.० कि०वा० से अधिक | —तदैव— |

१३– उपनगरियों/भवन संकुलों में कामन फेसेलिटीज हेतु पृथक विद्युत कनेक्श विकासकर्ता/कोआपरेटिव सोसायटी/रेजिडेन्ट एसोसियेशन/इन्डीबिजूअल आदि को प्रचलि नियमों के अनुसार दिया जायेगा ।

१४– विकासकर्ताओं/निर्माणकर्ताओं को यह विकल्प होगा कि उन बहुखंडीय भवनों में जहाँ एक बि पर विद्युत संयोजन निर्गत किया गया था एवं उनके द्वारा अधियासियों को पृथक–पृथक संयोज निर्गत करके विद्युत बिल वसूला जा रहा है, विद्युत वितरण तन्त्र की ड्राइंग्स/स्कीम जॉच/अनुमोदन की शुल्क एवं परिषद द्वारा निर्धारित निरीक्षण शुल्क देकर परिषद को हस्तांत कर सकते है । ऐसे भवन संकुलों के अधियासियों के सर्विस लाइन में परिषद के मानकों अनुसार कमी को विकासकर्ता द्वारा उसे ठीक कराना होगा । ऐसी दशा में समस्त संयोजनों परिषद द्वारा मीटर इत्यादि लगाने से पूर्व नये संयोजन सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा होगी एवं विभिन्न मदों के अन्तर्गत धनराशि भी देय होगी ।

१५– उपरोक्त नियम/प्रकिया तत्काल प्रभाव से लागू होगें एवं इन आदेशों के निर्गतोपरान्त विकरि होने वाले भवनों/उपनगरियों पर लागू होगें ।

अध्यक्ष

| Refer to process no. UPHDB/PM/ENG/ 30 and office order No. UPHDB/ENG/ E-01 | Prepared by | Reviewed by | Approved by |
|---|---|---|---|
| | EE ED-I S.E.(E/M) | C.E. | H.C |